संख्या- 21/2020/881/33-3-2020-100(3)/2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज,

उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 03 अप्रैल, 2020**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में वेतन भत्ता आदि मद में स्वीकृत धनराशि का अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1/01/2020-1/266/2019, दिनांक 02.04.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक-2515-001-03-पंचायतीराज निदेशालय के अन्तर्गत रू0-1128.36 लाख, 2515-101-03-जिला पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत रू0-5387.56 लाख, 2515-101-04-मण्डल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत रू0-625.31 लाख, 2515-800-1005-क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानांतरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पं0)) के अन्तर्गत रू0-46454.10 लाख, 2515-101-14-1401- सफाई कर्मचारी के अन्तर्गत रू0-237546.05 लाख एवं 2515-810-06-जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक के अन्तर्गत रू0-173.13 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0- 291314.51 लाख (रू0 उनतीस अरब तेरह करोड़ चौदह लाख इक्यावन हजार मात्र), जिसका विवरण संलग्न सूची में अंकित किया गया है को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।

(4) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(7) निदेशक, पंचायतीराज द्वारा अपने से संबंधित जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यत: 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

(8) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के संबधं में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(9) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-4/2018/आर.जी.-1021/दस/2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबधं में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(12) इस संबधं में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक-2515 के अधीन प्रावधानित सुसंगत इकाईयों (संलग्नक के अनुसार) के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2/आडिट-2, इलाहाबाद।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय व्ययक) अनु0-1/राज्य योजना आयोग-1

6- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 21/2020/ 881/33-3-2020-100(3)/2017 दिनांक 03.04.2020 का संलग्नक

लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

001-निदेशन तथा प्रशासन

03-पंचायतीराज निदेशालय।

(अनुदान सं0-14) **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र0 सं0	मानक मद	वर्ष 2020-21 का आय व्ययक अनुमान	निवर्तन पर रखी गयी धनराशि
1	2	3	4
1	01-वेतन	634.00	634.00
2	03-महंगाई भत्ता	158.50	158.50
3	04-यात्रा व्यय	3.00	3.00
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
5	06-अन्य भत्ते	7.00	7.00
6	08-कार्यालय व्यय	6.00	6.00
7	09-विद्युत व्यय	144.00	144.00
8	10-जलकर/जलप्रभार	30.00	30.00
9	11-लेखन सामग्री और फामोर्ं की छपाई	6.00	6.00
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
11	13-टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
12	15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	4.00	4.00
13	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	3.00	3.00
14	17-किराया उपशुल्क तथा कर-स्वामित्व	30.00	30.00
15	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.10	0.10
16	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	1.00
17	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
18	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	3.00	3.00
19	47-कम्प्यूटर आरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.00	3.00
20	49-चिकित्सा व्यय	30.00	30.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	51-वर्दी व्यय	0.25	0.25
22	55-मकान किराया भत्ता	47.36	47.36
23	56-नगर प्रतिकर भत्ता	10.15	10.15
24	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00	2.00
	योग	**1128.36**	**1128.36**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

101-पंचायतीराज

03-जिला पंचायत प्रशासन।

(अनुदान सं0-14) **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र0 सं0	मानक मद	वर्ष 2020-21 का आय व्ययक अनुमान	निवर्तन पर रखी गयी धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1	01-वेतन	3860.00	3860.00
2	03-महंगाई भत्ता	965.00	965.00
3	04-यात्रा व्यय	15.00	15.00
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6.50	6.50
5	06-अन्य भत्ते	15.00	15.00
6	08-कार्यालय व्यय	10.00	10.00
7	09-विद्युत व्यय	30.00	30.00
8	10-जलकर/जल प्रभार	3.00	3.00
9	11-लेखन सामग्री और फामोर्रं की छपाई	5.00	5.00
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	5.00
11	13-टेलीफोन पर व्यय	5.00	5.00
12	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	37.50	37.50
13	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	10.00	10.00
14	19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	8.00	8.00
15	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.25	2.25
16	45-अवकाश यात्रा व्यय	7.50	7.50
17	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	8.00	8.00
18	47-कम्प्यूटर आरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.00	3.00
19	49-चिकित्सा व्यय	40.00	40.00
20	51-वर्दी व्यय	1.50	1.50

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	55-मकान किराया भत्ता	288.49	288.49
22	56-नगर प्रतिकर भत्ता	61.82	61.82
	योग	**5387.56**	**5387.56**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्षक -2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

101-पंचायतीराज

04-मण्डल पंचायत प्रशासन।

(अनुदान सं0-14) **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र0 सं0	मानक मद	वर्ष 2020-21 का आय व्ययक अनुमान	निवर्तन पर रखी गयी धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1	01-वेतन	428.00	428.00
2	03-महंगाई भत्ता	107.00	107.00
3	04-यात्रा व्यय	3.00	3.00
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
5	06-अन्य भत्ते	4.00	4.00
6	08-कार्यालय व्यय	3.00	3.00
7	09-विद्युत व्यय	7.00	7.00
8	10-जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
9	11-लेखन सामग्री और फामोर्ं की छपाई	3.00	3.00
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00	2.00
11	13-टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
12	15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	1.00	1.00
13	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1.00	1.00
14	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	12.00	12.00
15	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.40	0.40
16	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
17	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	1.00	1.00
18	47-कम्प्यूटर आरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.00	1.00
19	49-चिकित्सा व्यय	7.00	7.00
20	51-वर्दी व्यय	0.10	0.10
21	55-मकान किराया भत्ता	31.96	31.96
22	56-नगर प्रतिकर भत्ता	6.85	6.85
	योग	**625.31**	**625.31**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्षक -2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

800-अन्य व्यय

1005-क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पं0)।

(अनुदान सं0-14) **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र0 सं0	मानक मद	वर्ष 2020-21 का आय व्ययक अनुमान	निवर्तन पर रखी गयी धनराशि
1	2	3	4
1	01-वेतन	34234.00	34234.00
2	03-महंगाई भत्ता	8558.50	8558.50
3	06-अन्य भत्ते	354.00	354.00
4	49-चिकित्सा व्यय	200.00	200.00
5	55-मकान किराया भत्ता	2559.20	2559.20
6	56-नगर प्रतिकर भत्ता	548.40	548.40
	योग:-	**46454.10**	**46454.10**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्षक -2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

810-अन्य व्यय

06-जिला परिषद् अनुश्रवण कोष्ठक।

(अनुदान सं0-14) **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र0 सं0	मानक मद	वर्ष 2020-21 का आय व्ययक अनुमान	निवर्तन पर रखी गयी धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1	01-वेतन	112.79	112.79
2	03-महंगाई भत्ता	28.20	28.20
3	04-यात्रा व्यय	0.15	0.15
4	06-अन्य भत्ते	1.00	1.00
5	08-कार्यालय व्यय	1.00	1.00
6	09-विद्युत व्यय	1.75	1.75
7	11-लेखन सामग्री और फामोर्ं की छपाई	1.00	1.00
8	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.75	0.75
9	13-टेलीफोन पर व्यय	0.60	0.60
10	15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	10.00	10.00
11	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.00	0.00
12	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.15	0.15
13	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	1.00	1.00
14	47-कम्प्यूटर आरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.00	1.00
15	49-चिकित्सा व्यय	2.00	2.00
16	51-वर्दी व्यय	0.05	0.05
17	55-मकान किराया भत्ता	10.00	10.00
18	56-नगर प्रतिकर भत्ता	1.69	1.69
	योग	**173.13**	**173.13**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्षक -2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

101-अन्य व्यय

14-पंचायती राज संस्थायें।

1401-सफाई कर्मचारी

अनुदान सं0-14 **धनराशि लाख रू0 में**

क्रम सं0	मानक मद	वर्ष 2019-20 का आय व्ययक अनुमान	निवर्तन पर रखी गयी धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1	01-वेतन	176680.65	176680.65
2	03-महंगाई भत्ता	44170.16	44170.16
3	06-अन्य भत्ते	1000.00	1000.00
4	49-चिकित्सा व्यय	400.00	400.00
5	55-मकान किराया भत्ता	12596.08	12596.08
6	56-नगर प्रतिकर भत्ता	2699.16	2699.16
	योग	**237546.05**	**237546.05**

रू0- 291314.51 लाख (रू0 उनतीस अरब तेरह करोड़ चौदह लाख इक्यावन हजार मात्र)

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।